न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

~~नामान्तरण~~अपील संख्याः 04/2025

दायर दिनांकः 24.01.2025

निर्णय दिनांक 15.04.2025

—: अनवान :—

1. अंकित कुमार पुत्र श्री पुखराज जी दुग्गड उम्र 36 वर्ष
2. महावीर कुमार पुत्र श्री पुखराज जी दुग्गड उम्र 44 वर्ष
3. श्रीमति संतोष देवी पत्नी श्री पुखराज जी दुग्गड उम्र 68 वर्ष
4. सुषमा पुत्री श्री पुखराज जी दुग्गड उम्र 39 वर्ष
5. सीमा पुत्री श्री पुखराज जी दुग्गड उम्र 42 वर्ष
6. मनीष पुत्र श्री पारस जी दुग्गड उम्र 47 वर्ष
7. शैलेश पुत्र श्री पारस जी दुग्गड उम्र 41 वर्ष
8. मौनिका पुत्री श्री पारस जी दुग्गड उम्र 44 वर्ष

   1 से 8 निवासी बड़ापाडा राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) हाल निवास मुम्बई महाराष्ट्र
9. सागरमल पुत्र श्री चाँदमल जी दुग्गड उम्र 72 वर्ष
10. शंकर लाल पुत्र श्री चाँदमल जी दुग्गड उम्र 75 वर्ष

    9 से 10 निवासी बड़ापाडा राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति हेमलता पत्नी श्री विनय कुमार कोठारी उम्र 60 वर्ष निवासी बड़ापाडा राजनगर तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. नारायण लाल पुत्र श्री वरदा जी गुर्जर उम वयस्क निवासी गुर्जरों का गुडा राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. निखिल निष्कलंक पुत्र श्री कैलाश निष्कलंक उम्र 35 वर्ष निवासी भिक्षु निलियम के पास, 100 फीट रोड राजसमन्द त० व जि० राजसमन्द (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. नगर परिषद् राजसमन्द जरिए आयुक्त महोदय नगर परिषद् राजसमन्द तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

— रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.रा. अधिनियम अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 1237 दिनांक 22/04/2010 जो विद्धवान न्यायालय तहसीलदार सा० राजसमन्द जिला राजसमन्द द्वारा फरमाया गया है।

उपस्थित :–

1– श्री सुनील बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्टगण
2– श्री संपत लाल लड्ढा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3
3– श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 4
4– श्री मुकेश ओस्तवाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने तहसीलदार राजसमन्द द्वारा फैसल नामान्तरकरण संख्या 1237 दिनांक 22.04.2010 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रकरण में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा स्पष्ट अवैध, विधि विरुद्ध व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विरुद्ध आलौच्य नामान्तरकरण आदेश कर प्रमाणित/सत्यापन किया गया है। जिसके नामान्तरकरण संख्या 1237 दिनांक 22/04/2010 है। जिसमे न तो कोई जाँच की गई है और नही कोई विधिक प्रक्रिया अपनाई गई है। जो प्रारम्भ से ही शुन्य होकर, अवैध होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण व पूर्वाधिकारी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम सनवाड तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) में कृषि भूमियॉ स्थित है। जिसके खसरा संख्या 1725/3 रकबा 3–03–10 किस्म बीड–1 थे । तत्कालीन खाता संख्या 470 के तत्कालीन खातेदारों ने खसरा संख्या 1725/3 रकबा 3–03–10 किस्म बीड–1 का हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 1 को विक्रय किया जिसका विधिवत् विभाजन न तो पूर्व में किया गया था और न ही आज तक किया गया है। यह कृषि भूमियॉ आज भी मौके पर भौतिक रूप से अविभक्त होकर, इनके संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य में है। जिनका मीट्स एवं बाउंड से विभाजन अब तक नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने, प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को उनके हको से महरूम कर संपत्ति को हड़पने के दुराशय से प्रत्यर्थी संख्या 4 से मिलीभगत करके उक्त वर्णित संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियो का बिना विधिवत विभाजन, मीट्स एवं बाउंड से कराये, खातेदारों को बिना सूचित किए ही गलत रूपेण आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 1237 दिनांक 22/04/2010 को बेचान से कर, विधिविरुद्ध संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियो का विभाजन कर दिया है। प्रत्यर्थी सं 1 ने, प्रत्यर्थी संख्या 4 से मिलीभगत करके जानबुझकर मिथ्या एवं झूठे तथ्यों के आधार पर आलौंच्य नामान्तरकरण करवाया है। जिसमे न तो कोई पत्रावली कायम कर, कोई जाँच की गई है और न ही कोई विधिक प्रक्रिया अपनाई गई है। जो प्रारम्भ से ही शुन्य होकर, अवैध होने से खारिज होने योग्य है। वास्तविकता यह है कि उक्त वर्णित कृषि भूमियॉ आज भी मौके पर भौतिक रूप से अविभक्त होकर संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य में है। उक्त वर्णित कृषि भूमि का मीट्स एवं बाउंड से विधिवत् विभाजन अब तक नहीं हुआ है। यह कि आलौच्य नामान्तरकरण आदेश कर सत्यापन किए जाने के लिए पत्रावली पर कोई साक्ष्य व आधार उपलब्ध नहीं होते हुए, अवैध सामान्य प्रक्रिया (Routine Process) अपनाते हुए अति संक्षिप्त आलौच्य नामान्तरकरण आदेश बेचान से विधि विरुद्ध फ़रमाया गया है, जो प्रारम्भ से ही शून्य है। उक्त आलौच्य नामान्तरकरण आदेश पारित किये जाने के पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 का खाता संख्या नया 547 खसरा संख्या 2071/1725 रकबा 1–11–15 किस्म बीड–1 हुआ। जिसके पश्चात प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उक्त कृषि भूमियो को प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को विक्रय कर, फिर से गलत रूपेण प्रत्यर्थी संख्या 4 के जरिए प्रारम्भ से ही शुन्य एवं अवैध नामान्तरकरण आदेश नामान्तरकरण संख्या 1987 दिनांक 16/12/2024 करवाया गया है। अब सभी प्रत्यर्थीगण मिलकर प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियो का बिना विधिवत विभाजन कराए, प्रार्थीगण /अपीलार्थीगण की बिना सहमति के प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 को नाजायज प्रवेश करवाकर,

भाग विशेष का गेर कृषि उपयोग हेतु रूपांतरण प्रत्यर्थी संख्या 5 से करवाकर अवैध रूपेण प्लोटिंग कर विक्रय करने को उतारू हो रहे है, जिसका उनको कोई हक व अधिकार नही है। तो उसी दिन प्रत्यर्थी संख्या 4 के यहाँ जाकर जानकारी की तो उपरोक्त आलौच्य नामान्तरकरण आदेश की सर्वप्रथम जानकारी 10/01/25 को होते ही प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी संख्या 4 के समक्ष उपरोक्त सुधार हेतु निवेदन किया तो सक्षम न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर राहत पाने के आदेश दिए गए है। तब प्रार्थीगण /अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता को नियुक्त कर आलौच्य नामान्तरकरण आदेश की प्रमाणित प्रतियां दिनांक 20/01/25 को प्राप्त की और आवश्यक सुसंगत दस्तावेजो का संकलन कर, वांछित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, किन्तु पटवारी संघ की हड़ताल होने से प्रमाणित प्रतियां अब तक प्राप्त नहीं हुई है फिर भी यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र सभी प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने मिलकर, अपील तैयार करवा अपील प्रस्तुत की है। इस दौरान प्रत्यर्थी संख्या 5 को दिनांक 21/01/25 को वादग्रस्त कृषि भुमियों के रूपांतरण प्रक्रिया को रोकने हेतु आपत्ति आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया किन्तु उनके द्वारा भी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश लाने हेतु कहा गया है। आलौच्य नामान्तरकरण आदेश दिनांक 22/04/2010 की सर्वप्रथम जानकारी आलौच्य आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर हुई, जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र अपील सादर प्रस्तुत है। वैसे तो कानूनन उपरोक्त प्रारम्भ से ही शुन्य एवं अवैध आलौच्य नामान्तरकरण आदेश की अपील के लिए कोई मियाद तय नहीं कि गई है, प्रारम्भ से ही शुन्य एवं अवैध आलौच्य नामान्तरकरण आदेश की अपील कभी भी प्रस्तुत की जा सकती है। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने जानबुझकर कोई उपेक्षा या लापरवाही नहीं की है। फिर भी विकल्प में विलम्ब माफ़ी हेतु पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 4 के भूमि धारी होने एवं प्रत्यर्थी संख्या 5 के क्षेत्राधिकार में वादग्रस्त संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमिया स्थित होने एवं बिना विधिवत विभाजन कराए, प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की बिना सहमति के बिना विधिवत विभाजन कराए, प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की बिना सहमति के भाग विशेष का गेर कृषि उपयोग हेतु रूपांतरण प्रत्यर्थी संख्या 5 से करवाकर अवैध रूपेण प्लोटिंग कर विक्रय करने को उतारू हो रहे है, जिसका उनको कोई हक़ व अधिकार नहीं है। जिससे आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फ़रमाया जाकर विद्धवान अवर न्यायालय तहसीलदार साहब राजसमन्द जिला राजसमन्द द्वारा पारित आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 1237 दिनांक 22/04/2010 को तथा इसके आधार पर पारित समस्त पश्चातवर्ती नामान्तरकरण आदेशो को निरस्त फ़रमाया जाकर वादग्रस्त संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियो को प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर संयुक्त खातेदार के नामान्तरकरण के आदेश फ़रमाया जाने की कृपा करावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पाडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री संपत लाल लड्ढा उपस्थित हुए , रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए व रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश ओस्तवाल उपस्थित हुए। एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 5 द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाकर धारा 5 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अवर न्यायालय द्वारा स्पष्ट अवैध, विधि विरुद्ध व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तो के विरुद्ध आलौच्य नामान्तरकरण आदेश कर प्रमाणित/सत्यापन किया गया है। जिसके नामान्तरकरण संख्या 1237 दिनांक 22/04/2010 है। जिसमे न तो कोई जाँच की गई है और नही कोई विधिक प्रक्रिया अपनाई गई है। जो प्रारम्भ से ही शुन्य होकर, अवैध होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण व पूर्वाधिकारी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम सनवाड तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) में कृषि भूमियॉ स्थित है। जिसके खसरा संख्या 1725/3 रकबा 3–03–10 किस्म बीड–1 थे । तत्कालीन खाता संख्या 470 के तत्कालीन खातेदारों ने खसरा संख्या 1725/3 रकबा 3–03–10 किस्म बीड–1 का हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 1 को विक्रय किया जिसका विधिवत् विभाजन न तो पूर्व में किया गया था और न ही आज तक किया गया है। यह कृषि भूमियॉ आज भी मौके पर भौतिक रूप से अविभक्त होकर, इनके संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य में है। जिनका मीट्स एवं बाउंड से विभाजन अब तक नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने, प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को उनके हको से महरूम कर संपत्ति को हड़पने के दुराशय से प्रत्यर्थी संख्या 4 से मिलीभगत करके उक्त वर्णित संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियो का बिना विधिवत विभाजन, मीट्स एवं बाउंड से कराये, खातेदारों को बिना सूचित किए ही गलत रूपेण आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 1237 दिनांक 22/04/2010 को बेचान से कर, विधिविरुद्ध संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियो का विभाजन कर दिया है। प्रत्यर्थी सं 1 ने, प्रत्यर्थी संख्या 4 से मिलीभगत करके जानबुझकर मिथ्या एवं झूठे तथ्यों के आधार पर आलौंच्य नामान्तरकरण करवाया है। जिसमे न तो कोई पत्रावली कायम कर, कोई जाँच की गई है और न ही कोई विधिक प्रक्रिया अपनाई गई है। जो प्रारम्भ से ही शुन्य होकर, अवैध होने से खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य नामान्तरण पारित करने में राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियमावली 1957 के नियम 125 की पालना नहीं की गई है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फ़रमाया जाकर विद्धवान अवर न्यायालय तहसीलदार साहब राजसमन्द जिला राजसमन्द द्वारा पारित आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 1237 दिनांक 22/04/2010 को तथा इसके आधार पर पारित समस्त पश्चातवर्ती नामान्तरकरण आदेशो को निरस्त फ़रमाया जाकर वादग्रस्त संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियो को प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम पर संयुक्त खातेदार के नामान्तरकरण के आदेश फ़रमाया जाने की कृपा करावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने अपनी बहस कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत नामान्तरण के विरूद्ध 15 वर्ष पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई जबकि अपीलार्थीगण के पूर्वाधिकारी पुखराज की मृत्यु के पश्चात श्री सागरमल द्वारा तहसीलदार राजसमन्द के समक्ष वादग्रस्त भूमि का विरासत से नामान्तरण हेतु 30.06.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से संबंधित उक्त नामान्तरण की जानकारी 5 वर्ष पूर्व से ही थी इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद से बाधित है। अपीलार्थीगण व उनके पूर्वाधिकारी द्वारा ग्राम सनवाड़ में स्थित अपनी खातेदारी कृषि भूमि के आराजी संख्या 1725/3 रकबा 3–03–10 बीघा भूमि में से 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.03.2010 से बेचान किया गया। एवं उक्त विक्रय पत्र में विक्रयशुदा भूमि के चर्तुदर्शी पड़ौस अंकित कर विशिष्टि भाग का विक्रय किया गया। उक्त अंकित पड़ौस व विक्रित हिस्से अनुसार ही पटवारी हल्का द्वारा राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियमावली 1957 के नियम 125 की पूर्णतः पालना की जाकर अपीलाधीन नामान्तरण दर्ज किया गया व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामान्तरण नियमानुसार स्वीकृत किया गया। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अनुसरण में नियमानुसार नामान्तरण आदेश पारित किया गया। अतः अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें। व अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5 ने अपील बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द द्वारा ग्राम सनवाड़ के नामान्तरणकरण संख्या 1237 दिनांक 22.04.2010 को पारित आदेश के विरूद्ध विचारणीय अपील इस आधार पर प्रस्तुत की, कि अपीलार्थीगण व उनके पूर्वाधिकारी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम सनवाड़ में खसरा संख्या 1725/3 रकबा 03–03–10 बीघा कृषि भूमि स्थित थी। जिसके तत्कालीन खातेदारों ने उक्त भूमि का 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 को विक्रय किया उक्त विक्रय के अनुसरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियों का बिना विधिवत् विभाजन व बिना खातेदारान को सूचित किये विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन नामानतरणकरण संख्या 1237 दिनांक 22.04.2010 को बेचान से भरा जाकर संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमियों का विभाजन कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1237 दिनांक 22.04.2010 को एवं इसके आधार पर पारित समस्त पश्चातवर्ती नामान्तरतणकरण आदेशों को निरस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमियों को अपीलार्थीगण व विपक्षी संख्या 1 के नाम पर संयुक्त खातेदार के नामान्तरण का आदेश फरमाया जावे।

उक्त क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 12.03.2010 का अवलोकन करने पर पाया कि अपीलार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारी तत्कालीन खातेदारान श्री शंकरलाल, सागरमल, पारसमल, पुखराज पिता चांदमल दुग्गड़(महाजन) ने ग्राम सनवाड़ में स्थित अपनी खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 1725/3 रकबा 03–03–10 बीघा में से 1/2 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 हेमलता पत्नि विनय कुमार कोठारी को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 12.03.2010 से बेचान किया एवं उक्त विक्रय पत्र में विक्रयशुदा भूमि के पड़ौस अंकित किये गये जो निम्नानुसार हैः– पूर्व – आम रास्ता, पश्चिम – देव डुँगरी बावजी का मन्दिर, उत्तर– इसी आराजी का शेष भाग, दक्षिण– आराजी नं0 1725/2 की भूमि। जिसमें पूर्व दिशा की नाप लगभग 90 फीट रहेगा, का अंकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 1737 के अवलोकन पर पाया कि उपरोक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अनुपालना में पटवारी हल्का सनवाड़ द्वारा ग्राम सनवाड़ का नामान्तरण संख्या 1237 दायर किया गया जिसमें क्रेता हेमलता पत्नि विनय कुमार कोठारी के नाम आराजी संख्या 2071/1725 रकबा 1–11–15 बीघा भूमि अंकित की गई एवं शेष आराजी नं. 1725/3 रकबा 1–11–15 बीघा भूमि विक्रेता शंकरलाल, सागरमल, पारसमल, पुखराज पिता चांदमल दुग्गड़(महाजन) के नाम रखी गई। राज0 भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियमावली 1957 के नियम 125 में यह प्रावधान है कि **"यदि किसी खेत का कोई भाग अथवा अंश हस्तांतरित कर दिया गया है। एवं अलग कब्जा हो गया हो तो पूरे खेत का नक्शा हस्तांतरित भाग बताते हुए नामान्तरण पत्र एवं उसकी प्रति परत के पीछे खींचा जाएगा। विभाजन की कोई कार्यवाही जरूरी नहीं है।"** पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार राजसमन्द द्वारा प्रेषित ग्राम सनवाड़ के नामान्तरण संख्या 1237 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन पर पाया कि पंजीबद्ध विक्रय पत्र में विक्रयशुदा भूमि के अंकित पड़ौस अनुसार विक्रित भाग को अलग दर्शाते हुए नक्शा ट्रेस नामान्तरण पर अंकित किया गया है पटवारी हल्का द्वारा दर्ज नामान्तरण की जांच संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द

द्वारा उक्त नामान्तरण स्वीकृत किया गया। अपीलाधीन नामान्तरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि राज0 भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियमावली 1957 के नियम 125 में विहित प्रावधानुसार ही दर्ज एवं स्वीकृत किया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अपीलार्थीगण एवं उनके पूर्वाधिकारी तत्कालीन खातेदारान श्री शंकरलाल, सागरमल, पारसमल, पुखराज पिता चांदमल दुग्गड़(महाजन) द्वारा ग्राम सनवाड़ में स्थित अपनी खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 1725/3 रकबा 03–03–10 बीघा में से 1/2 हिस्से के पड़ौस अंकित कर विशिष्ट भू–भाग का विपक्षी संख्या 1 हेमलता पत्नि विनय कुमार कोठारी को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 12.03.2010 से बेचान किया जिसकी अनुपालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामान्तरण राज0 भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियमावली 1957 के नियम 125 में विहित प्रावधानुसार ही दर्ज एवं स्वीकृत किया गया। चुंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियमावली 1957 में विहित प्रावधानानुसार ही प्रश्नगत नामान्तरण नियमानुसार एवं विधिसम्मत स्वीकृत किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, राजसमन्द के द्वारा दिनांक 22.04.2010 को पारित नामान्तरकरण आदेश यथावत रखा जाता है।

15/4/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 15.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)